संख्या–455 / नौ–7–2021–27(ज) / 2014टी.सी.

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2.समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3.समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 25 अप्रैल, 2022**

विषयः ग्रीष्म ऋतु एवं आगामी वर्षा ऋतु के दृष्टिगत नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजलापूर्ति एवं नाला–नालियों की साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति की समस्या एवं वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि की दशा में जल भराव व जल निकासी की समस्या के कारण संक्रामक रोगों के प्रसार की सम्भावनायें अधिक हो जाती हैं। उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–114 एवं उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–7 के अनुसार निकाय में जनसामान्य को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तथा नाले–नालियों की साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराना नगरीय निकायों का अनिवार्य कर्तव्य है। उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक हो जाता है कि नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजलापूर्ति एवं नाला नालियों की साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

2. उक्त के क्रम में नगरीय निकायों में शुद्ध पेयजलापूर्ति एवं नाला–नालियों की साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

<u>1.पेयजल आपूर्तिः–</u>

- नगरीय निकायों में पेयजलापूर्ति के लिये विशेष अभियान चलाकर समस्त नलकूप चालू हालत में रखे जायें तथा बन्द पड़े नलकूपों को ठीक कराकर चालू किया जाय।
- नलकूपों की मुख्य पाइपलाइनों से बस्तियों में आपूर्ति होने वाली पाइपलाइनों की टूट–फूट की मरम्मत एवं जल रिसाव के स्थानों को चिन्हित करते हुए उनकी मरम्मत करायी जाय ताकि बस्तियों में स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके।
- समय–समय पर जल शुद्धिकरण हेतु क्लोरीनीकरण कराया जाय।
- उथले हैण्डपम्पों का प्रयोग रोकने के लिए उन्हें लाल रंग से चिन्हित किया जाय।
- हैण्डपम्पों के पाइप को चारों ओर से कंकरीट से बन्द कराया जाय।
- हैण्डपम्पों के पास अपशिष्ट जल के निकलने हेतु यथावश्यक नाली / सोक–पिट का निर्माण किया जाय।
- शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु आवश्यकतानुसार हैण्डपम्प की रिबोरिंग करायी जाय ।
- पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिये यूजर एण्ड प्वाइन्ट (उपभोक्ता द्वारा उपयोग प्वाइंट) पर जल के नमूने एकत्र कर उनका नियमित रूप से बैक्टीरियोलॉजिकल / वायरोलॉजिकल जॉच करायी जाय।

- जिन क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई हैण्डपम्प से हो रही है, उन इलाकों में यथावश्यक क्लोरीन के टेबलेट का उचित मात्रा में वितरण कराया जाय।
- जिन क्षेत्रों में पेयजल बाधित हो, वहाँ पर टेंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करायी जाय।
- नगरीय क्षेत्र में सीवर लाइन तथा पानी की पाइप लाइन की चेकिंग की जाय। यदि कही सीवर अथवा पानी की पाइप लाइन में ब्रेकेज अथवा लीकेज पायी जाती है, तो उसे तत्काल सही किया जाय। उक्त लीकेज के सही होने तक संबंधित क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- जनसाधारण को पानी उबालकर पीने के लिये जागरूक करने के संबंध में विशेष प्रचार प्रसार किया जाय।

2. नाले/नालियों की सफाई –

- **वर्षा ऋतु से पूर्व विलम्बतम् 31 मई, 2022** तक नालों एवं नालियों की सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।
- नगरीय निकाय के सभी बड़े नाले, मझोले नाले एवं छोटे नाले को चिन्हित कर लिया जाय तथा उनकी सफाई हेतु सूक्ष्म कार्य योजना (Micro Plan) बनायी जाय।
- Micro Plan में नालों की लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई का अंकन करते हुये मैकैनिकल सफाई की टाईम लाईन (अवधि) तथा मैनुअल सफाई में कुल सृजित होने वाले मानव दिवसों की संख्या के साथ दिनांक वार कार्य समाप्त करने की तिथि निश्चित की जाय।
- वार्ड वार नालों की मैकैनिकल/मैनुअल सफाई हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जायें। जिनके नाम/पदनाम/मोबाइल नं0 Micro Plan में अंकित किया जाय।
- नालों की सफाई की पूरी प्रकिया को पारदर्शी एवं गुणवत्ता परक ढंग से सम्पन्न कराने हेतु स्थानीय पार्षद/सभासदगण को भी इसमें सम्मिलित किया जाय एवं Micro Plan में उनका नाम अंकित किया जाय।
- निकाय के सभी बड़े नाले, मझोले नाले एवं छोटे नाले के सिल्ट की सफाई तली तक यथावश्यक मैकैनिकल/मैनुअल ढंग से सफाई सुनिश्चित किया जाय।
- नाले से निकला हुआ सिल्ट समयबद्ध रूप से वहां से सेनेटरी लैण्डफिल साइट पर अथवा उचित स्थान पर भिजवाया जाय। किसी भी दशा में एकत्रित किये गये कूड़े अथवा सिल्ट को सड़क पर नहीं छोड़ा जाय।

3. जल निकासी की समुचित व्यवस्था–

- नगरीय निकायों में जल भराव वाले स्थलों को चिन्हित कर लिया जाय।
- उक्त चिन्हित स्थलों पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार बड़े/छोटे पम्प लगाये जाने के लिये सूक्ष्म कार्ययोजना बना ली जाय। उक्त Micro Plan में पम्प चालक एवं प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर अंकित किया जाय। जल की निकासी हेतु छोटे बड़े पम्पों को यथावश्यक मरम्मत कराकर ठीक करा लिया जाय।
- जल निकासी की समस्या की आकस्मिकता की स्थिति में जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कन्ट्रोल रूम(24X7), डेडिकेटेड गैंग एवं अतिरिक्त बड़े/छोटे पम्प की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों की संचालन व्यवस्था हेतु पम्प जनेरेटर, ट्रान्सफारमर की सर्विसिंग, इनटेक व सम्प की सफाई का कार्य सुनिश्चित किया जाय।

-3-

- बैरल (Barrel), पम्पिंग स्टेशनों का नाम, control room (24X7) Dedicated Gang के कर्मचारियों/ अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नम्बर Micro Plan में अंकित किया जाय।
- निकायों में यथावश्यक विभिन्न विभागों से यथा सिचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग इत्यादि से समन्वय स्थापित करते हुये जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त अपेक्षा के कम में सूक्ष्म कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप–'क', 'ख' एवं 'ग' (प्रति संलग्न) पर निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ उक्त सूचना को संकलित कर शासन को उपलब्ध करायेंगे।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मिशन निदेशक, अमृत, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. अपर निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
25.04.2022

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

प्रारूप–(क)

नगर निकायों में पेयजल आपूर्ति हेतु कार्ययोजना

क0 सं0	निकाय का नाम	वार्ड का नाम	पेयजल की मात्रा, आपूर्ति (MLD)			स्थापित टयूबवेल की स्थिति						इंडिया मार्क टू हैण्डपम्प की स्थिति						नियमित वॉटर क्वालिटी टेस्टिंग की स्थिति	क्लोरिनेशन की स्थिति	बिना वॉटर पाईप लाईन सपलाई के क्षेत्र में क्लोरीन टेबलेट बाटने की स्थिति	टैंकर से आपूर्ति	टिप्पणी
			Surface Water	Ground Water	कुल	कुल	ठीक	खराब	विद्युत यांत्रिक दोष के कारण खराब	स्थायी रूप से खराब	ठीक कराये जाने का दिनांक	कुल	ठीक	खराब		खराबी का कारण	ठीक कराये जाने की तिथि					
														स्थायी रूप से खराब	अस्थायी रूप से खराब							
1	2	3	4.	5.	6.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

प्रारूप–(ख)

नगर निकायों में नाला सफाई की कार्ययोजना।

क0 सं0	निकाय का नाम	नालों की संख्या				नालों की लम्बाई (मी0 में)				नालो की संख्या, जिनमें सफाई कार्य प्रारम्भ हो गया है			
		बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल	बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल	बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2.													

सफाई कार्य पूर्ण किये गये नालों की संख्या				सफाई किये गये नालों की कुल लम्बाई (मी0 में)				नाला सफाई हेतु कुल आवंटित बजट	नाला सफाई हेतु कुल व्यय	बायो रिमिडियेशन / फाइटोरिमिडियेशन कराये गये नालों की संख्या	बायो रिमिडियेशन / फाइटोरि मिडियेशन हेतु आवंटित बजट	बायो रिमिडियेशन / फाइटोरि मिडियेशन हेतु कुल व्यय
बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल	बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल					
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

प्रारूप–(ग)

नगर निकायों में जल निकासी की व्यवस्था हेतु कार्ययोजना

क0सं0	निकाय का नाम	वार्ड का नाम	जल भराव वाले स्थलों/क्षेत्रों की संख्या	जल भराव स्थल/क्षेत्र का नाम	जल भराव की प्रकृति (स्थायी / अस्थायी)	पम्प ऑपरेटर /मैट का नाम एवं मोबाइल नम्बर	प्रभारी अधिकारी का नाम पद/पदनाम/ मोबाइल नम्बर	बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों की सूचना		कंट्रोल रूम के प्रभारी का नाम/ पदनाम/ मोबाइल नम्बर	टिप्पणी
								बैरल कमांक	पम्पिंग स्टेशनों का नाम		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11